4. यात्री आचरण और अनुशासन

4.1 विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा धार्मिक उद्देश्य के लिए है; और इस यात्रा के लिए चयनित आवेदक को 'यात्री' कहा जाएगा। सभी यात्रियों से आशा की जाती है कि वो एक तीर्थ यात्री का आचरण बनाए रखें; तथा शील, भक्ति के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करे; एवं अपने बैच के सह-यात्रियों के संग सदभाव बनाए रखने में सहयोग करें। यात्री द्वारा अनुशासनहीनता, जिसमें स्वयं या सह-यात्रियों की सुरक्षा को ख़तरे में डालना, निर्धारित कार्यक्रम से जान-बूझकर विचलन; यात्री गाइड में उल्लेखित और / अथवा संबन्धित संपर्क अधिकारी और / अथवा स्थानीय प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन; और / अथवा राष्ट्र के अहित में किया गया कोई भी अनुचित गतिविधि इत्यादि के लिए अनुशासन समिति द्वारा निर्धारित दंड के पात्र होंगे।

4.2 प्रत्येक बैच के संपर्क अधिकारियों द्वारा एक अनुशासन समिति बनाई जाएगी जिसमें उस बैच के यात्रियों को शामिल किया जाएगा। यात्रा समाप्त होने पर अनुशासन समिति द्वारा विदेश मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी जाएगी जिसमें बैच के अनुशासन समिति के सभी सदस्याओं के हस्ताक्षर होनें चाहिए।

4.3 विदेश मंत्री के निर्देशानुसार इस उद्देश्य के लिए गठित 'अनुशासन समिति' में, निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:

निदेशक (पूर्व एशिया)
विदेश मंत्रालय

उप सचिव / अवर सचिव
(सतर्कता / निरीक्षण), विदेश मंत्रालय

ITBP के अधिकारी
(ITBP द्वारा नामांकित)

भूतपूर्व संपर्क अधिकारी
(मंत्रालय द्वारा नामांकित)

4.4 सम्बंधित यात्री को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए गए मामले में यात्री को बचाव हेतु लिखित रूप में जबाबदेही देने का अवसर होगा। यात्री की लिखित प्रस्तुति पर 'अनुशासनात्मक समिति' विचार करेगी, और अनुशासनहीनता के कृत्यों के लिए जिम्मेदार यात्री के लिए उचित दंड का निर्णय करेगी। अनुशासन समिति के निर्णय प्रक्रिया के पूरा होने पर इसकी सूचना / जानकारी सम्बंधित यात्री को दी जाएगी। यदि यात्री अनुशासन समिति के निर्णय से व्यथित है तो वह अनुशासनात्मक समिति द्वारा निर्णय के प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर विदेश मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

4.5 समिति द्वारा दंड का निर्णय तथ्यों के आधार पर किया जाएगा जिसमें कानून के तहत संबंधित अन्य प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई के अलावा; यात्रा-समाप्ति प्रमाण पत्र की रोक, भविष्य में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित यात्रा में भागीदारी पर प्रतिबंध, राज्य सरकार को संबन्धित यात्री की यात्रा से संबन्धित सहायता पर रोक लगाने की सिफारिश आदि हो सकते हैं।

4.6 अनुशासन समिति द्वारा लगाए गए दंड की समीक्षा के लिए, संक्षिप्त विवरण देते हुए स्पष्ट रूप से विचारयोग्य आधार पर एक उल्लेख अपील आवेदन किया जा सकता है। अपील आवेदन केवल निम्न अधिकारी को सम्बोधित किया जाना चाहिए:

संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया)
विदेश मंत्रालय
कक्ष 174, साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली 110011

4.7 अपीलीय प्राधिकारी उचित समय सीमा में पीड़ित यात्री की अपील पर विचार करेंगे, और अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से यात्री को लिखित रूप में अवगत करा दिया जाएगा। इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।